

मा० निदेशक मण्डल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की  
263वीं बैठक दिनांक-09 नवम्बर, 2023 का कार्यवृत्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 263वीं बैठक मा० अध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

1. श्री नितिन रमेश गोकर्ण,	अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,	अध्यक्ष
2. श्री रणवीर प्रसाद,	आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3. डा० नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सचिव
4. डा० महेश चन्द्र पाण्डेय	वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5. श्री डी०वी० सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6. श्री अनिल कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
7. श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
8. श्री कल्याण बनर्जी	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/स्थानीय निकाय	सदस्य
9. श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा०, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त,	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा० अध्यक्ष महोदय एवं मा० सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये:-

विषय सूची

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
263/1	परिषद की 262वीं बैठक दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 262वीं बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
263/2	परिषद की 262वीं बैठक दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 262वीं बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2023 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
263/3	भूमि विकास गृहस्थान योजना, अयोध्या में समाविष्ट ग्राम बरेहटा एवं ग्राम-माँझा तिहुरा के अवशेष खसरों के अर्जन के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने एवं परिषद अधिनियम-1965 की धारा(33) के अन्तर्गत सपठित अनुसूचि (धारा 55) की धारा-2(3) सपठित धारा-31(2) के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने के सम्बन्ध	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।


	में।		
263/4	श्री जनार्दन त्रिपाठी (सेवानिवृत्ति तिथि 31-08-2022) सहायक अभियन्ता (अधिशाली अभियन्ता के कर्तव्यों/दायित्वों हेतु अधिकृत) की सेवायें सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर अनुबन्धित किये जाने सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
263/5	श्री हरीश कुमार वाधवा, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता (सेवानिवृत्ति तिथि 31-10-2023) जिनके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट) का कार्य देखा जा रहा था, की सेवायें सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर अनुबन्धित किये जाने सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
263/6	परिषद के आदेश संख्या-401/अनुशा0-51(3754) दि0 28-07-2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री तेजवीर सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच आदेश संख्या-1844/अनुशा0-51/2021 (3754) दिनांक 03-11-2023 द्वारा की गयी जाँच समाप्ति के आदेश मा0 परिषद के समक्ष के अवलोकन/अनुमोदन के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
263/7	परिषद की विभिन्न योजनाओं में रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु वित्तीय वर्ष 2023 में सम्पन्न ई-नीलामियों में प्राप्त एकल बोलियों के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
263/8	परिषद की विभिन्न योजनाओं के एन्केलवों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैटों के निस्तारण हेतु विशेष पंजीकरण योजना के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि "यदि नियमानुसार भूमि मूल्य 1.5 गुना लिया जाता है तो 1.5 गुना लेते हुए मूल्य निर्धारित करें, शेष यथा प्रस्तावित अनुमोदित।"

21/11/23

*[Handwritten Signature]*

263/9	वैदिक सिटी सारनाथ भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना वाराणसी की धारा-28 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।	भूमि अर्जन	प्रस्तुत प्रस्ताव में कृषकों से आपसी सहमति एवं आवश्यकतानुसार भू-अध्याप्ति अधिनियम -1894 के तहत अर्जन की कार्यवाही की जाए, शेष अनुमोदित।
263/10	भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना तथा पूरक योजना, अयोध्या से संबंध महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा लैण्ड पूलिंग योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली भूमि के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

9/11/23

अनुमोदित,  
  
 (नितिन रमेश गोकर्ण)  
 अध्यक्ष